झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं. **3753/2022**

विजय कुमार शर्मा उर्फ विजय शर्मा, उम्र- लगभग 70 वर्ष, पिता- स्व. कमलेश्वरी शर्मा, अंबेडकर नगर,नामकुम, डाकघर एवं थाना-नामकुम, जिला- रांची, झारखंड

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. विजय कुमार सिन्हा, उम्र- लगभग 60 वर्ष, पिता- स्व. गुप्तेश्वर प्रसाद, सरस्वती नगर, ब्लॉक कार्यालय के सामने, डाकघर एवं थाना- चास, जिला- बोकारो, झारखंड
3. लाल संजय नाथ शाहदेव उर्फ लाल सिंह नाथ शाहदेव, उम्र- लगभग 60 वर्ष, पिता- स्व. फनिंद्र नाथ शाहदेव, अल्बिस बागान, ओझा मार्केट रोड, थाना-सुखदेव, डाकघर- हेलाल नगर, जिला- रांची, झारखंड
4. कंचन देवी, उम्र- लगभग 47 वर्ष, पति- जितेंद्र प्रसाद, डार्कू नगर, डाकघर एवं थाना- चास, जिला- धर्मशाला मोड़, चास, बोकारो, झारखंड

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री संतोष के. सोनी, अधिवक्ता

राज्य के लिएः सुश्री वंदना भारती, अतिरिक्त लोक अभियोजक

विरोधी पक्ष के लिए: श्री महावीर पी. डी. सिन्हा, अधिवक्ता

श्री संतोष के. आर. झा, अधिवक्ता

श्री शंकर सिंह, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें 28.06.2022 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जो आपराधिक विविध संख्या 83/2020 के संबंध में धुर्वा थाना मामला संख्या 290/2017 (जी.आर. संख्या 6634/ 2017) से संबंधित है, जिसे माननीय न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा पारित किया गया था, जिसमें न्यायिक आयुक्त ने यह कहते हुए आपराधिक विविध मामले को निराधार मानकर खारिज कर दिया।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता धुर्वा थाना मामला संख्या 290/2017 (जी.आर. संख्या 6634/2017) में शामिल अपराध का शिकार है। विरोधी पक्ष संख्या 2 से 4 को अन्य लोगों के साथ अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया था, जिसमें यह शर्त थी कि यदि याचिकाकर्ता समझौता समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो यह सूचना देने वाले के लिए सार्वजनिक अभियोजक के माध्यम से याचिका दायर करना खुला रहेगा। यह निर्विवादित है कि पीड़ित को कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने समझौता समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। सूचना देने वाले ने आपराधिक विविध मामला संख्या 155/2019 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा निपटाया गया और सूचना देने वाले और आरोपियों के बीच एक नया समझौता हुआ और उसी के अनुसार, सूचना देने वाले ने याचिका दायर की कि याचिकाकर्ता की जमानत रद्द की जाए, जो निचली अदालत में लंबित थी जब उपरोक्त आपराधिक विविध मामला संख्या 83/2020 का निपटारा हुआ था। विद्वान न्यायिक आयुक्त, रांची ने कहा कि पीड़ित को कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी जो न्यायिक आयुक्त, रांची के समक्ष याचिकाकर्ता था। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए आपराधिक विविध मामले को निराधार मानते हुए न्यायिक आयुक्त, रांची ने मामले को खारिज कर दिया।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता जताई है जो मीरा देवी उर्फ मिरा देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य मामले में पारित किया गया था, जो आपराधिक विविध याचिका संख्या 2900/2017 में 07.02.2020 को पारित हुआ। उस मामले में, विरोधी पक्ष संख्या 2 को अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसमें यह शर्त थी कि विरोधी पक्ष संख्या 2 मध्यस्थ द्वारा 08.05.2017 को तैयार की गई रिपोर्ट का पालन करेगी और भूमि का पंजीकरण कराएगी। उस मामले में विरोधी पक्ष संख्या 2 ने इस न्यायालय के समक्ष जमानत की शर्त का पालन करने से इनकार कर दिया, और इस न्यायालय ने विरोधी पक्ष संख्या 2 को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। यह प्रस्तुत किया गया कि भले ही पीड़ित को अग्रिम जमानत में कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई हो और सूचना देने वाले को उचित आदेश पारित करने के लिए सार्वजनिक अभियोजक

के माध्यम से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई हो, फिर भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, माल्लीकर्जुन कोडागली बनाम कर्नाटका राज्य के मामले में (2019) 2 एससीसी 752 में यह देखा गया है कि पीड़ित और राज्य/अभियोजन पक्ष स्वतंत्र रूप से अपील दायर कर सकते हैं बिना एक-दूसरे के अधिकारों पर निर्भर हुए। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सूचना देने वाले के अधिकार को पीड़ित के अधिकार से अलग करके और याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करके अवैधता की है, इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि आदेश दिनांक 28.06.2022 जो आपराधिक विविध संख्या 83/2020 में पारित किया गया था, धुर्वा थाना मामला संख्या 290/2017 (जी.आर. संख्या 6634/2017) से संबंधित है, उसे रद्द किया जाए और अस्वीकार किया जाए।

5.राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक और विपक्षी पार्टी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता ने आपराधिक विविध संख्या 83/2020 में पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता को बिना किसी शर्त के अग्रिम जमानत दिया गया था और उस आदेश में केवल एक शर्त है कि यदि याचिकाकर्ता समझौते की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है तो सूचना देने वाले को सार्वजनिक अभियोजक के माध्यम से याचिका दायर करने का अधिकार होगा। अतिरिक्त लोक अभियोजक और विपक्षी पार्टी संख्या 2 से 4 के अधिवक्ता ने आगे कहा कि बिना किसी शर्त के और चूंकि याचिकाकर्ता ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे वह अपनी भलाई के लिए जिम्मेदार हो सके और वे मामले की सुनवाई में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए माननीय न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई है। अंततः यह प्रस्तुत किया गया कि यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के है, इसे खारिज किया जाए।

6. बार में की गई प्रतिकूल प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, मीरा देवी उर्फ मिरा देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (उपरोक्त) मामले में न्यायालय के निर्णय के संबंध में, उस मामले का तथ्य इस मामले के तथ्यों से पूरी तरह अलग है। क्योंकि उस मामले में, अग्रिम जमानत आदेश में स्वयं यह शर्त लगाई गई थी कि विपक्षी पार्टी संख्या 2 को मीरा देवी के पक्ष में बिक्री करनी होगी और उसने ऐसा करने पर सहमति व्यक्त की थी, और तभी उसे अग्रिम जमानत दी गई थी। लेकिन इस न्यायालय के समक्ष, उसने जमानत की शर्त का पालन करने से इनकार कर दिया, जिसके आधार पर उसे जमानत दी गई थी, इसलिए इसे इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। लेकिन इस मामले के तथ्यों के संबंध में, इस न्यायालय को यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है, सिवाय ₹10,000/- की जमानत राशि और दो जमानतदारों की पेशकश करने के लिए, जिसे उसने निर्विवादित रूप से प्रस्तुत किया है। यह एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि केवल इस आधार पर कि समझौते की शर्तों का

पालन नहीं किया गया है, जमानत को रद्द नहीं किया जा सकता है, जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रीतपाल सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में कहा था, जो 2001 एससीसी ऑनलाइन एससी 123 में रिपोर्ट किया गया है। इसके अनुच्छेद 4 और 5 इस प्रकार हैं:

> *"4. मामले में उठाए गए विवाद का संबंध अपीलकर्ता के निष्कासन से है जो कि उस संपत्ति का किरायेदार है जिसका मालिक उत्तरदाता है। पहले, पक्षों के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें सहमति दी गई थी कि अपीलकर्ता उत्तरदाता को एक निश्चित राशि का भुगतान करेगा और निर्धारित समय तक संपत्ति को खाली करेगा। इस आरोप पर कि अपीलकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर प्रश्नांकित संपत्ति को खाली न करके समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया है, जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि न तो याचिका में अपीलकर्ता को दी गई स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई उल्लेख किया गया और न ही अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के कारण किसी कठिनाई का आरोप लगाया गया।*
>
> *5. मजिस्ट्रेट ने केवल इस आधार पर अपीलकर्ता को दी गई जमानत रद्द कर दी कि समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया गया था। कम से कम यह कहना उचित होगा कि जमानत रद्द करने के लिए जो आधार प्रस्तुत किया गया था वह पूरी तरह अस्वीकार्य था। हमारा मानना है कि यदि आदेश को बनाए रखा गया तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश को बनाए रखने में गलती की। इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई जमानत रद्द करने वाला आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया गया आदेश रद्द किए जाते हैं। जमानत का आदेश बहाल किया जाता है। अपील स्वीकृत की जाती है।" (जोर दिया गया)*

7. इस न्यायालय ने ज्योत्सना शर्मा उर्फ ज्योत्सना आनंद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (उपरोक्त) मामले में 01.04.2022 को पारित किए गए क्रिमिनल एमपी संख्या 2499/2021 में निम्नलिखित आधारों को उदाहरणात्मक रूप से संक्षेपित किया है जहां आरोपी को दी गई जमानत रद्द की जा सकती है:

(i) समान आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना,

(ii) जांच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना,

(iii) सबूत या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करना,

(iv) गवाहों को धमकी देना या ऐसी समान गतिविधियों में लिप्त होना जो जांच को बाधित करें,

(v) किसी अन्य देश में भागने की संभावना होना,

(vi) भूमिगत होकर या जांच एजेंसी के लिए अनुपलब्ध होकर खुद को अदृश्य बनाने का प्रयास करना,

(vii) अपने जमानतदार की पहुंच से बाहर जाने का प्रयास करना आदि।

8. अब इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, याचिकाकर्ता के खिलाफ जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का कोई आरोप नहीं है और न ही याचिकाकर्ता ने कोई ऐसा कार्य, कार्रवाई या चीज़ की है जिसे जमानत रद्द करने के आधार के रूप में संदर्भित किया जा सके। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि 28.06.2022 को पारित आदेश जो आपराधिक विविध संख्या 83/2020 में धुर्वा थाना मामला संख्या 290/2017 (जी.आर. संख्या 6634/2017) के संबंध में माननीय न्यायिक आयुक्त, रांची द्वारा पारित किया गया है, उसमें कोई अवैधता नहीं है।

9. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक: 10 जनवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|